# कार्यालय मुख्य कार्यपालक अधिकारी
# भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
# बीडा भदोही

संख्याःबीडा/तकनीकी–दो(1383)/16/ दिनांक .....

## कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की रजपुरा वाणिज्यिक सह आवासीय योजना में निर्माणाधीन शापिंग मार्ट का कार्यादेश सं0 बीडा/तकनीकी–दो(1382)/16/4942 दिनांक 07.10.16 मेसर्स दुग्गल एसोसिएट्स प्रा0लि0 के पक्ष में निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार शापिंग मार्ट के समस्त निर्माण कार्य दिनांक 15.10.16 से प्रारम्भ कर 01 वर्ष (14.10.17 तक) निश्चित रूप से पूर्ण करना था। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुसार जनशक्ति लगाकर कार्य पूर्ण कराने के स्थान पर स्थल पर कार्य बंद कर दिया गया। फलतः कार्यालय के पत्र सं0 3273 दिनांक 01.11.17 द्वारा बंद कार्य को तत्काल प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया। शॉपिंग मार्ट के कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में एवं कार्यहित में दी गयी समयवृद्धियों के सम्बन्ध में कार्यालय के निम्न पत्रों के माध्यम से फर्म को समय–समय पर निर्देशित किया गया है।

| क्रम संख्या | पत्र संख्या व दिनांक | विषय | क्रम संख्या | पत्र संख्या व दिनांक | विषय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3273<br>01.11.17 | बन्द कार्य को प्रारम्भ करने हेतु। | 9 | 6010<br>22.11.18 | बैठक में प्रतिभाग करने एवं कार्य में तेजी लाने हेतु। |
| 2 | 3338<br>13.11.17 | तीन दिन के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने हेतु। | 10 | 6044<br>27.11.18 | कार्य में तेजी लाने हेतु। |
| 3 | 4433<br>16.04.18 | आवश्यकतानुसार जनशक्ति बढ़ाने हेतु। | 11 | 7379<br>26.02.19 | कार्य पूर्ण कराने हेतु। |
| 4 | 4477<br>01.05.18 | समय वृद्धि | दिनांक 21.01.2019 को फर्म द्वारा एक शपथ पत्र दिया गया कि दिनांक 31.03.2019 तक सभी कार्य पूर्ण करा देंगे। | | |
| 5 | 4619<br>25.05.18 | कार्य प्रारम्भ करने हेतु। | 12 | 91<br>26.04.19 | कार्य पूर्ण कराने हेतु। |
| 6 | 5319<br>12.09.18 | पर्ट चार्ट हेतु। | 13 | 351<br>28.06.19 | कार्य पूर्ण कराने हेतु। |
| 7 | 5483<br>28.09.18 | कार्य प्रारम्भ/समय वृद्धि | 14 | 1031<br>18.09.19 | कार्य पूर्ण कराने हेतु। |
| 8 | 5675<br>23.10.18 | कार्य में तेजी लाने हेतु। | 15 | 1339<br>17.10.19 | कार्य पूर्ण कराने हेतु। |

फर्म द्वारा दिये गये शपथ पत्र के बावजूद दिनांक 31.03.2019 तक कार्य पूर्ण न किये जाने के फलस्वरूप कार्यहित में उपरोक्त तालिका में अंकित पत्रों के अतिरिक्त कार्यालय के पत्र सं0 बीडा/तकनीकी–दो/(1383)/16/1623 दिनांक 11.04.19 द्वारा कारण बताओं नोटिस निर्गत की गयी कि क्यो न अनुबन्ध सं0 4942 दिनांक 07.10.16 को निरस्त करते हुए जमानत धनराशि एवं धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाल दिया जाय। प्राधिकरण द्वारा प्रेषित कारण बताओं नोटिस के क्रम में संस्था द्वारा अवशेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु कार्यो की प्रगति बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रयास किये गये लेकिन स्थल पर तैनात पर्यवेक्षकीय कार्मिकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में आवश्यकतानुसार कार्य में प्रगति नही लाई गयी। सम्बन्धित फर्म द्वारा दिनांक 06.12.19 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी बीडा को प्रेषित पत्र में

उल्लिखित किया गया कि "उनके बिल का भुगतान हो जाता है तो इसी माह (दिसम्बर 2019) मे कार्य पूर्ण कर देंगे।" निर्माणाधीन शॉपिंग मार्ट की आवंटित दुकानों का आंवटियों को कब्जा देने एवं अनिस्तारित /अनावंटित दुकानें के आवंटन के दृष्टिगत कार्यहित में फर्म के अनुरोध पर दिनांक 28.12.19 को अवशेष समस्त कार्य दिनांक 25.01.20 तक पूर्ण कराने का एक शपथ पत्र लिया गया। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.01.20 को सम्पन्न 76वीं बैठक में प्रकरण से प्राधिकारी बोर्ड को संज्ञानित कराया गया। शॉपिंग मार्ट की प्रगति से अवगत होते हुए प्राधिकारी द्वारा यह निर्देश दिये गये कि "**शापिंग मार्ट के अवशेष कार्य दिनांक 25.01.2020 तक पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।**"

शॉपिंग मार्ट के निर्माण में प्राधिकरण के तैनात अभियन्ताओं, अधिशासी अभियन्ता, वित्त एवं लेखाधिकारी तथा विशेष कार्याधिकारी द्वारा दिनांक 27.01.20 को अवगत कराया गया कि शॉपिंग मार्ट के निर्माण की निर्धारित अवधि के पश्चात लगभग 02 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बावजुद आगणन/निविदा में प्राविधानित 76 मदों के सापेक्ष 33 मदों के कार्य अद्यदिनांक तक फर्म द्वारा प्रारम्भ ही नही कराया जा सकें है। उक्त समिति द्वारा यह भी उल्लिखित किया गया है कि शॉपिंग मार्ट के कार्य पूर्ण न होने के कारण जहॉ एक ओर नीलामी पद्धति से आवंटित 26 दुकानों का भौतिक कब्जा देना सम्भव नही हो पा रहा है वही दूसरी ओर अवशेष 60 दुकानों के आवंटन में भी प्रश्नचिन्ह लग गया है। यहीं नही शॉपिंग मार्ट के प्रथम एवं द्वितीय तल में दुकानों के निर्माण हेतु कोई पंजीकरण नही हो सके है। प्राधिकरण की महत्वपूर्ण जनहित की इस योजना में फर्म द्वारा बरती गयी शिथिलता एवं उदासीनता से लगभग 1087.00 लाख की दुकानें का आवंटन न होने से प्राधिकरण की प्रत्यक्ष रूप से राजस्व की हानि हो रही है। समिति द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि अभी तक शॉपिंग मार्ट के 25 प्रतिशत कार्य लगभग 160.00 लाख की लागत की अवशेष है। उक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा और कोई विकल्प शेष न होने के कारण फर्म को काली सूची में डालने, अनुबन्ध निरस्त करने तथा जमा जमानत धनराशि तथा धरोहर धनराशि जब्त करने की संस्तुति दी गयी है।

उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में मे0 दुग्गल एशोसिएट प्रा0लि0 के पक्ष में निर्गत कार्यादेश सं0 बीडा/तकनीकी–दो(1382)/16/4942 दिनांक 07.10.16 एवं अनुबन्ध सं0 1174 /2016–17 को निरस्त करते हुए फर्म को काली सूची में डाला जाता है तथा जमा जमानत धनराशि एवं धरोहर धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में जब्त करने के आदेश निर्गत किये जाते है।

(कृत्तिका ज्योत्स्ना)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संख्याःबीडा/तकनीकी–दो(1383)/16/ 2457 दिनांक 28/01/2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. वित्त एवं लेखाधिकारी को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित फर्म की जमानत धनराशि एवं धरोहर धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में जमा कराना सुनिश्चित करें।
3. श्री के0सी0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता को इस निर्देश निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार सम्बन्धित फर्म मे0 दुग्गल एशोसिएट्स प्रा0लि0 के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए शीघ्र परियोजना को पूर्ण कराने हेतु नियमानुसार निविदा आदि की कार्यवाही समय से करायें।
4. मे0 दुग्गल एशोसिएट्स प्रा0लि0 को इस निर्देश के साथ कि पत्र प्राप्ति के 01 सप्ताह के अन्दर किये गये कार्यो का अन्तिम मापन कराना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड/कार्यालय आदेश/सम्बन्धित पत्रावलियों में संलग्न करने हेतु।

(कृत्तिका ज्योत्स्ना)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी